

कार्यालय उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय-आदेश

शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग जयपुर के पत्रांक प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 24-05-2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25-05-2017 एवं 31-05-17 की अनुपालना में प्रारम्भिक शिक्षा के मावि/उमावि में समन्वयन से समन्वित विद्यालय में अधिशेष शाला दर्पण के 3 बी में दर्ज वरिष्ठ अध्यापक (ऐसे वरिष्ठ अध्यापक जिनका वेतन प्राशि /पंचायती राज विभाग से आहरित हो रहा है) का समायोजन उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।

संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो /निलम्बित हो /न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें ।

राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित व0अ0 को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें ।

क्र0स0	नाम सर्व श्री /श्रीमती	वरिष्ठ अध्यापक का विषय	कहाँसे	कहाँ को
1	श्री मती पूनम शर्मा	अंग्रेजी	राउमावि खोह,डीग,भरतपुर	रामावि गुदडी कुम्हेर ,भरतपुर
2	श्री भगवान सिंह	अंग्रेजी	राउमावि नाम ,नदबई ,भरतपुर	राबामावि खेडिया ब्राह्मण, नदबई ,भरतपुर
3	श्री यदुनाथ सिंह	अंग्रेजी	राउमावि अस्तावन , कुम्हेर , भरतपुर	राबाउमावि खांगरी, नदबई, भरतपुर
4	श्री मदनमोहन गोयल	अंग्रेजी	राउमावि कोटा महोली,करौली	रामावि मोहनपुर ,करौली
5	श्री राजेन्द्र सिंह	अंग्रेजी	राउमावि थून ,नगर ,भरतपुर	राबामावि कूम्हां,कुम्हेर ,भरतपुर

उपरोक्त कार्मिक दिनांक 12-06-2017 तक अनिवार्यतः कार्यग्रहण करेगें । इनके माह जून 2017 का वेतन इनके नवीन समायोजित स्थान से देय होगा । सम्बन्धित संस्था प्रधान शाला दर्पण से कार्यमुक्त /कार्यग्रहण करा कर पालना से अवगत करावें ।

(गणेश कुमार धाकरे)

उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर
दिनांक :-04-06-2017

क्रमांक:-उनिमाशि/भरत/माध्य/संस्था-1/फा-स्था0/2017-18/ 116

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01-विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर

02-शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग जयपुर

03-निदेशक माध्यमिक /प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर

04-उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर

05-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक./प्रारम्भिक शिक्षा

06-संबंधित संस्था प्रधान /ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

07-संबंधित कार्मिक

08-रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर
कार्यालय-आदेश

शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग जयपुर के पत्रांक प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 24-05-2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25-05-2017 एवं 31-05-17 की अनुपालना में प्रारम्भिक शिक्षा के मावि/उमावि में समन्वयन से समन्वित विद्यालय में अधिशेष शाला दर्पण के 3 बी में दर्ज वरिष्ठ अध्यापक (ऐसे वरिष्ठ अध्यापक जिनका वेतन प्राशि /पंचायती राज विभाग से आहरित हो रहा है) का समायोजन उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।

संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपरिस्थित हो /निलम्बित हो /न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो उनको कार्यमुक्त नही किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें ।

राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित व0अ0 को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नही करवाया जावें तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें ।

क्र०स०	नाम सर्व श्री /श्रीमती	वरिष्ठ अध्यापक का विषय	कहाँसे	कहाँ को
1	श्री सतेन्द्र सिंह	गणित	राउमावि एकटा, सेवर,भरतपुर	राआउमावि उच्चैन ,रूपवास ,भरतपुर
2	श्री हरीप्रकाश	गणित	राउमावि बरोलीचौथ ,डीग ,भरतपुर	राआउमावि खरैरा ,रूपवास ,भरतपुर

उपरोक्त कार्मिक दिनांक 12-06-2017 तक अनिवार्यतः कार्यग्रहण करेगें । इनके माह जून 2017 का वेतन इनके नवीन समायोजित स्थान से देय होगा । सम्बन्धित संस्था प्रधान शाला दर्पण से कार्यमुक्त /कार्यग्रहण करा कर पालना से अवगत करावें ।

(गणेश कुमार धाकरे)

उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर
दिनांक :-04-06-2017

क्रमांक:-उनिमाशि/भरत/माध्य/संस्था-1/फा-स्था0/2017-18/ 117

- प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 01-विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर
 - 02-शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग जयपुर
 - 03-निदेशक माध्यमिक /प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर
 - 04-उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर
 - 05-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक./प्रारम्भिक शिक्षा
 - 06-संबंधित संस्था प्रधान /ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
 - 07-संबंधित कार्मिक
 - 08-रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय-आदेश


शासन उप सचिव शिक्षा (गुप-2) विभाग जयपुर के पत्रांक प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 24-05-2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25-05-2017 एवं 31-05-17 की अनुपालना में प्रारम्भिक शिक्षा के मावि/उमावि में समन्वयन से समन्वित विद्यालय में अधिशेष शाला दर्पण के 3 बी में दर्ज वरिष्ठ अध्यापक (ऐसे वरिष्ठ अध्यापक जिनका वेतन प्राशि /पंचायती राज विभाग से आहरित हो रहा है) का समायोजन उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।

संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो /निलम्बित हो /न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें ।

राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित व0अ0 को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें ।

क्र0स0	नाम सर्व श्री / श्रीमती	वरिष्ठ अध्यापक का विषय	कहाँसे	कहाँ को
1	श्रीमती राजकुमारी जैन	हिन्दी	रामावि आलनपुर ,स0मा0	राबामावि कुस्तला , चौथका बरवाडा ,स0मा0
2	श्री मती राधा रानी	हिन्दी	राउमावि डीग ,भरतपुर	राआउमावि अउ,डीग ,भरतपुर
3	श्री गोरधन सिंह	हिन्दी	राउमावि पैघोर, कुम्हेर,भरतपुर	रामावि कंचनपुरा ,कुम्हेर,भरतपुर
4	श्री रामचित्र शर्मा	हिन्दी	राउमावि पुरानीछावनी, धौलपुर	रामावि लुहारी, धौलपुर
5	श्री नवल सिंह	हिन्दी	राउमावि छौकरवाडा ,वैर ,भरतपुर	रामावि नरहरपुर ,वैर ,भरतपुर
6	ओमप्रकाश गुप्ता	हिन्दी	राउमावि चैनपुरबरिया ,करौली	राबामावि करौली

उपरोक्त कार्मिक दिनांक 12-06-2017 तक अनिवार्यतः कार्यग्रहण करेगें । इनके माह जून 2017 का वेतन इनके नवीन समायोजित स्थान से देय होगा । सम्बन्धित संस्था प्रधान शाला दर्पण से कार्यमुक्त /कार्यग्रहण करा कर पालना से अवगत करावें ।


(गणेश कुमार धाकरे)

उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर
दिनांक :-04-06-2017

क्रमांक:-उनिमाशि/भरत/माध्य/संस्था-1/फा-स्था0/2017-18/ 118

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01-विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर

02-शासन उप सचिव शिक्षा (गुप-2) विभाग जयपुर

03-निदेशक माध्यमिक /प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर


04-उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर

05-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक./प्रारम्भिक शिक्षा

06-संबंधित संस्था प्रधान /ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

07-संबंधित कार्मिक

08-रक्षित पत्रावली


उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय-आदेश

शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग जयपुर के पत्रांक प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 24-05-2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25-05-2017 एवं 31-05-17 की अनुपालना में प्रारम्भिक शिक्षा के मावि/उमावि में समन्वयन से समन्वित विद्यालय में अधिशेष शाला दर्पण के 3 बी में दर्ज वरिष्ठ अध्यापक (ऐसे वरिष्ठ अध्यापक जिनका वेतन प्राशि /पंचायती राज विभाग से आहरित हो रहा है) का समायोजन उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।

संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो /निलम्बित हो /न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें ।

राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित व0अ0 को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें ।

क्र0स0	नाम सर्व श्री /श्रीमती	वरिष्ठ अध्यापक का विषय	कहाँसे	कहाँ को
1	श्री शिवचरण मीणा	सा0वि0	रामावि श्यारौली ,स0मा0	रामावि छावा ,गंगापुरसिटी (स0मा0)
2	श्री रामकिशोर सैनी	सा0वि0	राउमावि सैमली, नगर,भरतपुर	राबाउमावि डीग, भरतपुर
3	श्री समुद्र सिंह राजपूत	सा0वि0	राउमावि दलपुरा ,नादौती ,करौली	रामावि ल्हावद , नादौती (करौली)
4	श्री जगदीश चन्द्र करसोलिया	सा0वि0	रामावि भीलापाडा ,नादौती, करौली	राआउमावि ढिढोरा , हिण्डौन (करौली)

उपरोक्त कार्मिक दिनांक 12-06-2017 तक अनिवार्यतः कार्यग्रहण करेगें । इनके माह जून 2017 का वेतन इनके नवीन समायोजित स्थान से देय होगा । सम्बन्धित संस्था प्रधान शाला दर्पण से कार्यमुक्त /कार्यग्रहण करा कर पालना से अवगत करावें ।

(गणेश कुमार धाकरे)
उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर
दिनांक :-04-06-2017

क्रमांक:-उनिमाशि/भरत/माध्य/संस्था-1/फा-स्था0/2017-18/ 119

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01-विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर

02-शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग जयपुर

03-निदेशक माध्यमिक /प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर

04-उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर

05-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक./प्रारम्भिक शिक्षा

06-संबंधित संस्था प्रधान /ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

07-संबंधित कार्मिक

08-रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर कार्यालय-आदेश

शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग जयपुर के पत्रांक प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 24-05-2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25-05-2017 एवं 31-05-17 की अनुपालना में प्रारम्भिक शिक्षा के मावि/उमावि में समन्वयन से समन्वित विद्यालय में अधिशेष शाला दर्पण के 3 बी में दर्ज वरिष्ठ अध्यापक (ऐसे वरिष्ठ अध्यापक जिनका वेतन प्राशि /पंचायती राज विभाग से आहरित हो रहा है) का समायोजन उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।

संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो /निलम्बित हो /न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें ।

राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत् समायोजित व0अ0 को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें ।

क्र0स0	नाम सर्व श्री /श्रीमती	वरिष्ठ अध्यापक का विषय	कहाँसे	कहाँ को
1	श्री बागसिंह राजपूत	सामान्य	रामावि कस्बा शहर ,करौली	राआउमावि तेसगाँव ,नादौती (करौली)

उपरोक्त कार्मिक दिनांक 12-06-2017 तक अनिवार्यतः कार्यग्रहण करेगें । इनके माह जून 2017 का वेतन इनके नवीन समायोजित स्थान से देय होगा । सम्बन्धित संस्था प्रधान शाला दर्पण से कार्यमुक्त /कार्यग्रहण करा कर पालना से अवगत करावें ।

(गणेश कुमार धाकरे)

उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा

भरतपुर संभाग भरतपुर

दिनांक :-04-06-2017

क्रमांक:-उनिमाशि/भरत/माध्य/संस्था-1/फा-स्था0/2017-18/ 120

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01-विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर

02-शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग जयपुर

03-निदेशक माध्यमिक /प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर

04-उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर

05-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक./प्रारम्भिक शिक्षा

06-संबंधित संस्था प्रधान /ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

07-संबंधित कार्मिक

08-रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा

भरतपुर संभाग भरतपुर